-1-

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

279

एल पटेल
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
रीडर
29 DEC 2010
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

95

Received camp Indore
8-2-11

15-2-11

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ﴾म0प्र0﴿

रा0प्र0क्र0--------/09 R-248-I/2011

1. श्रीमति कुसुमबाई पति- स्व. ठकुरी उर्फ ठाकुरसिंह
2. रमेश प्रसाद पुत्र स्व. ठकुरी उर्फ ठाकुर सिंह
3. सुरेश प्रसाद पुत्र स्व. ठकुरी उर्फ ठाकुरसिंह

सभी निवासी- ग्राम- मैली, थाना- टिकरिया,
तहसील-निवास, जिला- मंडला ﴾म0प्र0﴿ ---- अपीलार्थीगण

विरूद्ध

छोटेलाल पिता- छिद्दी सोनी,
निवासी- नारायण गंज, तहसील-निवास,
जिला- मण्डला ﴾म0प्र0﴿ ------- उत्तरवादी

निगरानी अंतर्गत धारा- 44 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता।

निगरानीकर्तागण यह निगरानी राजस्व. अपील क्र.-204/अ-46/99-2000 में अतिरिक्त कमिश्नर द्वारा पारित आदेश दिनांक-01.06.09 एवं पुर्नविलोकन आदेश दिनांक-06.07.2009 से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न लिखित आधारों एवं तथ्यों पर प्रस्तुत करते हैं।

:: प्रकरण के तथ्य ::

1. यह कि, ग्राम पदमी उर्फ मोहगांव तहसील निवास जिला मण्डला स्थित कृषि भूमि ख0नं0- 155 रकबा 2.74 एकड़ के मालिक, स्वामी है, उपरोक्त भूमि निगरानीकर्ता को पैतृक संपत्ति है।

2. यह कि, प्रत्यर्थी ने एक आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत कियाथा कि उसने उपरोक्त भूमि स्वामी ठकुरी उर्फ ठाकुरसिंह से द्वारा लिखित अनुबंध के ठेके पर ली थी, और प्रत्यर्थी ठेके पर कास्तकारी करता था, परन्तु बाद में ठकुरी उर्फ ठाकुरसिंह ने

-2

R 248 I/11 ([illegible])

		आदि के हस्ताक्षर
26.10.16.	प्रकरण विगत 2 वर्षों से लम्बित है। आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई दी गई परन्तु उनके द्वारा प्रकरण में कोई आपत्ति नहीं आदि प्रस्तुत की, आवेदक को प्रकरण को निरंतर रखने में कोई रुचि नहीं है अतः प्रकरण अदम को समाप्त करते इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पश्चात सूचित हों. [signature]	

खा — 321 — फॉर्म — 21-9-2012 — 10,000.